न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

पत्रावली संख्या : 213/**10 (वाद)**

1. श्री देवीसिंह पिता कल्याणसिंह राजपुत निवासी ढाणा, नूरडा तह. मावली।
2. श्री पद्मसिंह पिता कल्याणसिंह राजपुत निवासी ढाणा, नूरडा तह. मावली।

.....**वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....**प्रतिवादी**

उपस्थित :– 1. श्री हिरालाल बुनकर, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री राजपेरोकार, उपतहसीलदार मावली प्रतिवादी।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट.

: : निर्णय : :

दिनांक : 08.01.2020

1. वाद वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव नूरडा पटवार सर्कल नूरडा में स्थित आराजी खसरा 2545/2525 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के नाम पर बिलानाम सरकार अंकित हैं। जमाबन्दी की नकल साथ संलग्न हैं।
2. यह कि उक्त वाद में वर्णित भूमि पर हम वादीगण गत 50 से अधिक वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है और भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग की खसरा रपट सम्वत् 2023 में हम वादीगण का नाम कब्जेधारी के रूप में अंकित है और गत 50 वर्षों में हम वादीगण ने उक्त भूमि को उपजाउ बनाने में और भूमि का विकास करने में लाखों रूपयों की लागत लगाई और परिवार सहित श्रम किया है और वर्तमान में भी हमारे ही उपयाग उपभोग में हो कब्जे काश्त में है और गत 50 से अधिक वर्षों से उक्त भूमि पर हमारा कब्जा होने से उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिए

हम वादीगण उक्त भूमि को अपने नाम पर घोषित फरमा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन करवाने के अधिकारी हैं।

3. यह कि उक्त भूमि को दिनांक 09.08.1978 को हम वादीगण के नाम पर जरिए नामान्तरकरण सं. 169 खातेदार काश्तकार के रूप में हमारे नाम पर अंकन किये जाने की कार्यवाही भी की गयी थी परन्तु अज्ञात कारणों से 07.12.78 को यह नोट लगाकर कि इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही होगी अतः नामान्तरकरण खारिज किया जाता है उक्त नामान्तरकरण खारिज फरमाया गया। नामान्तरकरण पंजिका गांव नूरडा की प्रति संलग्न हैं।
4. यह कि वादीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वाद में वर्णित आराजीयात पर हम वादीगण गत 50 से अधिक वर्षों से काबिज हो काश्त कर रहे है और संवत् 2023 खसरा पत्रक भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग में हमारा नाम कब्जेधारी के रूप में अंकित है और गत 50 से अधिक समय से हमारा कब्जा होने से हमे कानूनन भी खातेदारी अधिकार उक्त भूमि में प्राप्त हो चुके हैं और सुविधा संतुलन भी मुझ वादीगण के पक्ष में है क्योंकि उक्त भूमि पर हम वादीगण अपने पूर्वजो के समय से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है और उक्त भूमि का विकास करने व उपजाउ बनाने में लाखों रूपयो की लागत व परिवार सहित श्रम किया है और हमारा कब्जा है और उक्त भूमि हमारे नाम पर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन नहीं होने से जो क्षति हमे हो रही है इससे जो क्षति हम वादीगण को होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव हैं।
5. यह कि हम वादीगण ने एक पंजीकृत सूचनापत्र दिनांक 21.04.10 को अपने अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी को उक्त भूमि को हमारे नाम पर खातेदारी अधिकार से अंकन करने हेतु भी दिलाया जो उनको प्राप्त हो गया परन्तु नोटिस की नियत अवधि दो माह में भी हमारे नाम पर नहीं होने से विवश होकर वाद माननीय न्यायालय में पेश करना पडा हैं।
6. यह कि वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्व वाद कारण दिनांक 25.03.10 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियों ने वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा हटाने को कहा और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
7. अतः निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादी के विरूद्व इस

अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी वाद पत्र में वर्णित भूमि जिस पर हम वादीगण का कब्जा गत 50 से अधिक वर्षों से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के हो हमारे ही उपयोग उपभोग में है उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हमारे नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप में घोषित फरमाई जावे और हमें शांतिपूर्वक उक्त हमारी कब्जेसुदा भूमि पर काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि से करवावें।

8. वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेजात नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, भू. प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2, नामान्तरकरण सं. 169 कीप्रमाणित प्रति प्रदर्श 3, पंजीकृत सूचना पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्श 4ए, पोस्टल रसीद प्रदर्श 5, प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद प्रदर्श 6, पोस्टल रसीद जिला कलक्टर प्रदर्श 7, प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद प्रदर्श 8 पेश की गई है।
9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का नामान्तरकरण सं. 169 नियमानुसार खारिज किया गया है क्योंकि प्रकरण नामान्तरकरण योग्य ही नहीं था। नामान्तरकरण नियमानुसार खारिज होने से वादीगण नामान्तरकरण के आधार पर खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता हैं।
10. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–
    1. आया मौजा नूरडा पटवार मण्डल नूरडा की आराजी नम्बर 2545/2525 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज रेकार्ड है किन्तु पिछले 50 वर्षों से वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त कर रहे है, जिससे वादीगण खातेदार काश्तकार बन चुके हैं। इस कारण से वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी हैं। .....वादीगण
    2. आया नामान्तरकरण सं. 169 जो खारिज किया गया है उसके आधार पर घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं। .....प्रतिवादी
11. प्रकरण में साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्री देवीसिंह, पी.डब्ल्यू–2 श्री पद्मसिंह, पीडब्ल्यू–3 श्री देवीसिंह पिता धीरसिंह, पी.डब्ल्यू–4 श्री हरा, पी.डब्ल्यू–5 श्री

भंवरसिंह के शपथ पत्र पेश किये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू–1 श्री चुन्नीलाल शर्मा पटवारी नूरडा के बयान कलमबद्ध कराये गये।

12. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा लिखित बहस मय नजीर S.C.(C.W.) 8332/2014 प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा द्वारा अपनी बहस में बताया कि वादीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है क्योंकि उक्त भूमि किस्म मंगरी है जिस पर खेती नहीं की जा सकती हैं। अतिक्रमी को धारा 91 के तहत् नोटिस देकर हटा दिया जाता है इसलिए लगातार कब्जा होने का तथ्य गलत हैं। नामान्तरकरण सं. 169 सही नहीं होने से नियमानुसार खारिज किया गया हैं। इसलिए वादीगण नामान्तरकरण के आधार पर कोई दाद प्राप्त नहीं कर सकता हैं। वादीगण का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर पर बगौर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार निर्णय निम्न है :–

    1. आया मौजा नूरडा पटवार मण्डल नूरडा की आराजी नम्बर 2545/2525 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज रेकार्ड है किन्तु पिछले 50 वर्षों से वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त कर रहे है, जिससे वादीगण खातेदार काश्तकार बन चुके हैं। इस कारण से वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

    उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा तनकी के सम्बन्ध में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्री देवीसिंह, पी.डब्ल्यू–2 श्री पद्मसिंह, पीडब्ल्यू–3 श्री देवीसिंह पिता धीरसिंह, पी.डब्ल्यू–4 श्री हरा, पी. डब्ल्यू–5 श्री भंवरसिंह गवाह पेश किये एवं दस्तावेज के रूप में नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, भू. प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2, नामान्तरकरण सं. 169 कीप्रमाणित प्रति प्रदर्श 3, पंजीकृत सूचना पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्श 4ए, पोस्टल रसीद प्रदर्श 5, प्राप्ति

अभिस्वीकृति रसीद प्रदर्श 6, पोस्टल रसीद जिला कलक्टर प्रदर्श 7, प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद प्रदर्श 8 पेश किये। प्रकरण में दस्तावेजों व रेकार्ड के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने का कथन साबित होता हैं। वादीगण का यह कथन कि वह 50 वर्षों से काबिज होकर काश्त कर रहे है उस सम्बन्ध में वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे उक्त जमीन पर कृषि कार्य होने के तथ्य को स्पष्ट किया जा सके। वादीगण द्वारा प्रदर्श 2 सेटलमेन्ट की नकल प्रस्तुत की हैं, जिसमें विशेष विवरण के कॉलम में वादीगण का नाम दर्ज हैं, परन्तु वादीगण द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य के सम्बन्धित एवं उक्त भूमि पर विकास कार्य के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रमाण पेश नहीं किये। जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि पर वादीगण निरन्तर कृषि कार्य कर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हो। केवल मात्र कथन के आधार पर इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाह पटवारी द्वारा अपने बयान में अंकन किया है कि मौके पर पत्थरीली जमीन है व मौके पर कोई फसल काश्त नहीं होती हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि यदि वादीगण द्वारा निरन्तर कृषि कार्य किया जा रहा होता तो भूमि पत्थरीली नहीं होकर कृषि उपयोगी रहती हैं। वादीगण द्वारा लगातार 50 वर्षों से काबिज होकर निरन्तर काश्त करने का कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। वादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

2. आया नामान्तरकरण सं. 169 जो खारिज किया गया है उसके आधार पर घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर रहा। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावें के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य के रूप में गवाह डी.डब्ल्यू–1 श्री चुन्नीलाल शर्मा पटवारी के बयान

कलमबद्ध कराये। बयानों में पटवारी ने केवल मात्र धारा 91 के तहत् कार्यवाही करने का कथन किया है एवं नामान्तरकरण को उच्चाधिकारियों के आदेश के उपरान्त ही भरने मात्र का कथन किया गया हैं। प्रकरण में प्रतिवादी राजपेरोकार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायिक उद्वरण पेश नहीं किये, जिससे उक्त तनकी को प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित करा पाये। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं।

14. वादीगण द्वारा यह वाद घोषणा के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादीगण द्वारा आराजी नम्बर 2545/2525 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर गत 50 से अधिक वर्षों से काबिज होकर लगातार काश्त करने का कथन किया हैं तथा वादीगण द्वारा यह निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज करने के लिए नामान्तरकरण सं. 169 पटवारी द्वारा भरकर प्रस्तुत किया था, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.08.1978 को खारिज कर दिया गया। वादीगण द्वारा निरन्तर 50 वर्षों से अधिक समय से काश्त करने से खातेदारी घोषणा की दाद चाही गई हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से एवं तनकीवार निर्णयन से प्रथम दृष्टया यह तथ्य न्यायालय के सामने आये है कि वादीगण वादग्रस्त आराजीयात 2545/2525 पर निरन्तर कृषि कार्य करने व 50 वर्षों से अधिक कब्जा होने का कथन कर रहे हैं जबकि पटवारी द्वारा अपने दिये बयाान में वादग्रस्त जमीन को मौके पर पत्थरीली जमीन होकर किसी प्रकार की काश्त नहीं होने का कथन किया हैं एवं उक्त जमीन वर्तमान में खुली पडी होकर पशु चरते है तथा किसी का भी कब्जा मौके पर नहीं होने की बात कही हैं। यदि प्रार्थीगण का वास्तविकता में कोई कब्जा होता तो वादीगण द्वारा कृषि कार्य के सम्बन्धित ठोस सबूत, मौके के फोटो ग्राफ, कृषि कार्य हेतु भूमि के विकास के सम्बन्ध में साक्ष्य पेश करते जिससे लगातार कृषि के तथ्य को कुछ हद तक माना भी जा सकता था जबकि वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर मात्र कथन के आधार पर लगातार कब्जे की बात को दोहराई हैं। वादीगण द्वारा जिस नामान्तरकरण का अंकन अपने वाद पत्र में किया है, उक्त नामान्तरकरण प्रदर्श 3 का हमने अवलोकन किया, उक्त नामान्तकरण में तहसीलदार मावली द्वारा दिनांक 09.08.78 में ''इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही

होगी, अतः नामान्तकरण खारिज किया जाता है, इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थीगण को सूचित करे'' का अंकन करते हुए नामान्तरकरण को खारिज कर दिया गया। चूंकि दिनांक 09.08.1978 को वादीगण का नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया एवं उसकी जानकारी भी वादीगण को दे दी गई। वादीगण द्वारा नामान्तरकरण की किसी प्रकार की कोई अपील भी नहीं की एवं ना इन्द्राज दुरूस्ती की कोई कार्यवाही की गई। नामान्तरकरण खारिज होने के लगभग 32 वर्ष बाद दिनांक 15.07.2010 को वादीगण द्वारा इस न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जिसमें भी अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करने का कोई ठोस कारण भी वादपत्र में अंकित नहीं किया हैं। उपरोक्त तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पहाडी व पत्थरीली है, जिस पर खेती नहीं की जा सकती हैं। भूमि मात्र पशु चरने के काम आ रही हैं। भूमि प्रतिवादी के नाम पर होकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज हैं। भूमि बिलानाम होने से प्रार्थी का कोई टाईटल नहीं बनता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्री देवीसिंह पिता कल्याणसिंह राजपुत निवासी ढाणा, नूरडा तह. मावली।
2. श्री पद्मसिंह पिता कल्याणसिंह राजपुत निवासी ढाणा, नूरडा तह. मावली।

.....**वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....**प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 213/10 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.01.2020 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.07 11:57:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: